



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54138-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 7552 वर्ष 2026

हर्ष भाटी और अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आदित्येंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अंजली उपाध्याय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्येंद्र सिंह, राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री उत्तरा बहुगुणा और ग्रेटर नोएडा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंजली उपाध्याय की दलीलें सुनीं।

3. यह रिट याचिका परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3, ग्रेटर नोएडा, को उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की भूमि, जिसका खसरा क्रमांक 252M है और क्षेत्रफल 0.2530 हेक्टेयर है, जो ग्राम थपखेड़ा, परगना, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, को ध्वस्त करने और उस पर कब्जा करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादियों को दिनांक 06.06.2011 के सरकारी आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की माता ने रिट याचिका संख्या 57650/2010, सुनीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दायर की थी, जिसमें उन्होंने दिनांक 23.07.2009 को धारा 4 और 17 के तहत जारी अधिसूचना और दिनांक 06.03.2010 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जो भूखंड संख्या 252, 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल के संबंध में थी, इस आधार पर कि अधिग्रहित भूमि पर एक आबादी मौजूद थी। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 21.09.2010 के आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के समक्ष भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत छूट हेतु आवेदन कर सकता है, और राज्य सरकार इस पर विचार करके उचित निर्णय ले सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके बाद राज्य सरकार ने 06.06.2011 को एक आदेश पारित किया जिसमें यह दर्शाया गया कि अधिग्रहण कार्यवाही के बदले में, प्रतिवादी प्राधिकरण ने 04.12.2010 को लीज-बैंक के संबंध में पहले ही निर्णय ले लिया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 24.02.2011 को बोर्ड की स्वीकृति के अधीन विधिवत अनुमोदित किया गया था।

6. इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि, उपरोक्त स्थिति के बावजूद, प्रतिवादी प्राधिकरण ने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, और इस निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति और हानि हुई है। आगे निवेदन किया गया है कि, इस बीच, आबादी भूमि पर कुछ विकास कार्य किए गए हैं।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि दिनांक 18.07.2022 का एक पत्र भी भेजा गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि लीज-बैंक नीति से संबंधित दिनांक 28.09.2021 के सरकारी आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं की माता को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। हालांकि, दिनांक 06.06.2011 के स्पष्ट आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण नहीं किया गया है, क्योंकि लीज-बैंक नीति के तहत लीज विलेख उनके पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने राहत को इस हद तक सीमित रखा है कि राज्य सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं के दावे पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाए और उसका निवारण किया जाए।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि समन्वय पीठ ने पहले मामले को राज्य सरकार को सौंप दिया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत निर्णय लेने के लिए, और राज्य सरकार द्वारा 06.06.2011 को सकारात्मक निर्णय लिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि इसके बावजूद, प्राधिकरण ने पट्टा वापसी नीति के तहत पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए कोई परिणामी कदम नहीं उठाया है, हालांकि कुछ संचार किए गए हैं, जिनमें 18.07.2022 का संचार भी शामिल है। यह भी पता चलता है कि, नीति के तहत, 04.12.2010 को पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका था, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 24.02.2011 को विधिवत अनुमोदित किया गया था और, 18.07.2022 के संचार के अनुसार, पट्टा वापसी प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई थी।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें लीज-बैंक नीति के तहत लीज डीड के निष्पादन में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं मिलता है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 3, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे। यह कहना आवश्यक नहीं है कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो लीज-बैंक नीति के तहत पट्टा विलेख शीघ्रता से निष्पादित किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

17 मार्च 2026

मुकेश कुमार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।